(3)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ

ठासीन अधिकारी (मांगी लाल) आर.ए.एस.

ार्थना पत्र अन्तर्गत धाराः- 251 क(1) आर.टी.ए.

करण संख्याः 156/2025

गुरभजन सिंह उर्फ हरभजन सिंह पुत्र श्री भाग सिंह जाति जटसिख निवासी धानकावाली ढाणी, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

-:प्रार्थी

बनाम्

1 करतार कौर पुत्री श्री हरदयाल सिंह जाति बावरी निवासी डबलीवास मिढा रोही (बावरीयों वाली ढाणी) तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

2 बुधा सिंह पुत्र श्री हरदयाल सिंह जाति बावरी निवासी डबलीवास मिढा रोही (बावरीयों वाली ढाणी) तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

3 रामप्यारी पुत्री श्री हरदयाल सिंह जाति बावरी निवासी डबलीवास मिढा रोही (बावरीयों वाली ढाणी) तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

4 सेवक सिंह पुत्र श्री हरदयाल सिंह जाति बावरी निवासी डबलीवास मिढा रोही (बावरीयों वाली ढाणी) तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

5 अल्लू सिंह पुत्र श्री दयाल सिंह जाति बावरी निवासी डबलीवास मिढा रोही (बावरीयों वाली ढाणी) तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

6 चन्द कौर पुत्री श्री दयाल सिह जाति बावरी निवासी डबलीवास मिढा रोही (बावरीयों वाली ढाणी) तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

7 बुधा सिंह पुत्र श्री दयाल सिंह जाति बावरी निवासी डबलीवास मिढा रोही (बावरीयों वाली ढाणी) तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

8 मोहन सिंह पुत्र श्री दयाल सिंह जाति बावरी (फौत)

8/1 सन्ता सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह जाति बावरी निवासी डबलीवास मिढा रोही (बावरीयों वाली ढाणी) तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

8/2 सुखदेव सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह जाति बावरी निवासी डबलीवास मिढा रोही (बावरीयों वाली ढाणी) तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

8/3 मिन्दो कौर पत्नी श्री मोहन सिंह जाति बावरी निवासी डबलीवास मिढा रोही (बावरीयों वाली ढाणी) तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

8/4 मनजीत कौर पुत्री श्री मोहन सिंह जाति बावरी निवासी डबलीवास मिढा रोही (बावरीयों वाली ढाणी) तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

9 वरयाम सिंह पुत्र श्री दयाल सिंह जाति बावरी निवासी मिढा रोही तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

10 वीर कौर पुत्री श्री दयाल सिंह जाति बावरी निवासी मिढा रोही तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

11 सुखदेव सिंह पुत्र श्री चनण सिंह जाति बावरी निवासी मिढा रोही तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

-:अप्रार्थीगण

(५)

उपस्थित :-

1. श्री खुशप्रीत सिंह - अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री गुरप्रीत सिंह - अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 11
3. एकपक्षीय कार्यवाही - अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 ता 7, 8/1 ता 8/4, 9 ता 10
4. राजपैरोकार

-::निर्णय::-

दिनांक 19.12.2025

अधिवक्ता प्रार्थी श्री खुशप्रीत सिंह द्वारा पेश यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आर.टी.एक्ट जिसके संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण का पंजीकृत व प्रमाणित ता प्रार्थना पत्र के शीर्षक में अंकितानुसार सही है।

यह कि प्रार्थी के नाम चक 11 जे.आर.के. तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 32/35, खाता गुरभजन सिंह उर्फ हरभजन सिंह, जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के पत्थर नम्बर 77/253 (28) किला नम्बर 3/1/.228, 3/2/.025, 6/1/.228, 6/2/.025, 7, 8, 12 से 14/.253 हैक्टेयर प्रत्येक, 15/1/.228, 15/2/.025 हैक्टेयर मय गैर मुमकिन खाला कुल 2.024 हैक्टेयर आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी शामिल प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थीगण सख्या 1 से 4 व खातेदार जंगीर कौर के नाम चक 11 जे.आर.के. तहसील हनुमानगढ के खाता सख्या 47/45, खाता करतार कौर आदि, जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के पत्थर नम्बर 77/253 (28) किला नम्बर 16/1/.228, 16/2/.025, 17 से 20/.253 हैक्टेयर प्रत्येक कुल 1.265 हैक्टेयर आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी शामिल प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थीगण सख्या 5 से 10 के नाम चक 11 जे.आर.के. तहसील हनुमानगढ के खाता सख्या 89/119, खाता अल्लू सिंह आदि, जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के पत्थर नम्बर 76/253 (29) किला नम्बर 25/1/.228, 25/2/.025, पत्थर नम्बर 77/253 (28) किला नम्बर 21 से 24/.253 हैक्टेयर प्रत्येक, पत्थर नम्बर 79/254 (34) किला नम्बर 1 से 4/.253 हैक्टेयर प्रत्येक, 5/1/.228, 5/2/.025, 6/1/.228, 6/2/.025, 7 से 14/.253 हैक्टेयर प्रत्येक, 15/1/.228, 15/2/.025, 16/1/.228, 16/2/.025, 17 से 24/.253 हैक्टेयर प्रत्येक, 25/1/.228, 25/2/.025 हैक्टेयर कुल 7.590 हैक्टेयर आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी शामिल प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थी सख्या 11 के नाम चक 11 जे.आर.के. तहसील हनुमानगढ के खाता सख्या 41/42, खाता सुखदेव सिंह, जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के पत्थर नम्बर 76/253 (29) किला नम्बर 15/1/.228, 15/2/.025, पत्थर नम्बर 77/253 (28) किला नम्बर 1/1/.228, 1/2/.025, 9/2/.063, 10, 11/.253 हैक्टेयर प्रत्येक कुल 1.075 हैक्टेयर आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी शामिल प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थी के नाम चरण सख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी को अपने आधिपत्य व धारण की कृषि भूमि में प्रवेश करने हेतु प्रार्थी के पास कोई भी मन्जूरशुदा रास्ता नही है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में जाने हेतु सबसे सुलभ रास्ता चक नम्बर 11 जे.आर.के. तहसील हनुमानगढ के पत्थर नम्बर 77/253 (28) किला नम्बर 11/0.025 हैक्टेयर (दक्षिण ओर), किला नम्बर 20, 21 प्रत्येक बीघा में 0.025 हैक्टेयर (पश्चिम ओर) रास्ता उपलब्ध हो सकता है जो अर्सा करीब 25 वर्षो से चालू है तथा पत्थर नम्बर

7/254 के किला नम्बर 1 से 5 में स्वीकृतशुदा मौके पर चले रहे गैर मुमकिन रास्ता को मिलान करता हुआ है। उक्त रास्ता सबसे सुलभ व सुविधाजनक रास्ता है तथा इसके लावा माननीय न्यायालय जो भी रास्ता अप्रार्थी सख्या 1 से 11 की भूमि में स्वीकृत करना चेत समझे, उसी अनुसार प्रार्थी, अप्रार्थीगण की कृषि भूमि में विधि अनुसार अन्तर्गत धारा 51क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में रास्ता मन्जूर करवाने का अधिकारी व दावेदार है। ार्थी को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। प्रार्थी, अप्रार्थीगण को रास्ते में आई भूमि के वज में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मुआवजा अदा करने के लिए तैयार है।

यह कि प्रार्थी की कृषि भूमि हेतु उक्त रास्ता ही सुलभ रास्ता है परन्तु प्रार्थी के पास पनी कृषि भूमि में प्रवेश करने हेतु स्वीकृतशुदा रास्ता उपलब्ध न होने के कारण प्रार्थी के ेतो पर विपरीत प्रभाव पड रहा है तथा हर समय प्रार्थी को यह भय बना रहता है कि प्रार्थीगण की भूमि चक 11 जे.आर.के. तहसील हनुमानगढ के पत्थर नम्बर 77/253 (28) केला नम्बर 11/0.025 हैक्टेयर (दक्षिण ओर), किला नम्बर 20, 21 प्रत्येक बीघा में 0.025 क्टेयर (पश्चिम ओर) में चल रहे रास्ते में अवरोध कारित करने हेतु प्रयासरत है, यदि प्रार्थीगण अपने इस अवैध मकसद में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जेसकी भरपाई किसी भी प्रकार से नही की जा सकेगी। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का तुलन एंव अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में है। इन तात्कालिक एंव आवश्यक रिस्थितियों के दृश्टिगत प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थीयगण इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि चक 11 जे.आर.के. तहसील हनुमानगढ के पत्थर नम्बर 77/253 (28) केला नम्बर 11/0.025 हैक्टेयर (दक्षिण ओर), किला नम्बर 20, 21 प्रत्येक बीघा में 0.025 हैक्टेयर (पश्चिम ओर) मौके पर चल रहे रास्ते में प्रार्थी व अन्य काश्तकार के आवागमन में केसी प्रकार का अवरोध कारित करने, निर्माण आदि करने से निषिद्व रहे तथा उक्त रक्बे बाबत मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सख्या 3 मे दर्ज आराजी की खातेदार काश्तकार जंगीर कौर फौत हो चुकी है जिसके जायज व कानूनी वारिसान पूर्व से ही खातेदार काश्तकार है तथा बतौर अप्रार्थीगण सख्या 1 से 4 पक्षकार है।

यह कि जब प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से उक्त कृषि भूमि में रास्ता स्वीकृति करवाने का निवेदन किया तो वह इन्कार हो गये तथा अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को धमकी दी गई कि वह श्नगत चालू रास्ता पर निर्माण कार्य कर देगे ताकि प्रार्थी को रास्ता उपलब्ध न हो सके। यही द कारण है।

यह कि उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है जो चित न्याय शुल्क पर वाद कारण से अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत है कि प्रार्थना पत्र ी चरण सख्या 6 के अनुसार चक 11 जे.आर.के. तहसील हनुमानगढ के पत्थर नम्बर 7/253 (28) किला नम्बर 11/0.025 हैक्टेयर (दक्षिण ओर), किला नम्बर 20, 21 प्रत्येक ीघा में 0.025 हैक्टेयर (पश्चिम ओर) रास्ता स्वीकृत कर रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड में र्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

» प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गई। अप्रार्थी सं. 11 द्वारा वाब प्रार्थना पत्र सहमति का पेश किया। अप्रार्थी सं. 1 ता 7, 8/1 ता 8/4, 9 ता 10 ी तलबी करवाई गई, हाजिर नहीं आने के कारण इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल ें लाई जाती है।

हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार हनुमानगढ से मौका रिपोर्ट तलब की गई। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) की कार्यवाही एक संक्षिप्त विचारण है जिसकी मंशा यह है कि काश्तकारों को अपनी खातेदारी जोत तक पहुंचने के लिए निर्बाध रूप से रास्ता प्राप्त होना चाहिए। राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के विधानान्तर्गत भू.अ.निरीक्षक या उससे वरिष्ट स्तर के राजस्व अधिकारी से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(ए) के संबध में रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण हेतु निम्नांकित बिन्दूओं का विवेचन किया गया-

1 **रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता।**

2 **वैकल्पिक रास्ते का अभाव।**

3 **नया मार्ग लघुतम रूट से हो।**

पत्रावली में मौजूद जमाबंदी, नजरी नक्शा व तहसीलदार हनुमानगढ की जरिये पत्रांक/राजस्व/16205226 दिनांक 02.06.2025 द्वारा तैयार मौका व जांच रिपोर्ट का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया गया। तहसीलदार हनुमानगढ ने अपनी मौका रिपोर्ट में प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ता के संदर्भ में अंकित किया है कि:- प.न. 77/253 मु.न. 28 कि.न. 11, 20, 21 प्रत्येक में .025 हैक्टेयर जो संयुक्त खाते में दर्ज रिकार्ड है व मौका पर इन किलों से रास्ता चल रहा है जिससे प्रार्थी अपने खेत में आवागमन कर रहा है व इसके अलावा प्रार्थी के खेत में जाने हेतु अन्य कोई रास्ता नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस प्रार्थीपक्ष सुनी गई। चूंकि धारा 251ए एक संक्षिप्त विचारण है। प्रार्थी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मनन किया गया। मनन उपरांत यह निष्कर्ष है कि प्रार्थी द्वारा याचित रास्ता व तहसीलदार हनुमानगढ द्वारा सुझाया गया रास्ता समान है। याचित रास्ते द्वारा ही प्रार्थी को अपनी जोत में पहूंच सकता है। प्रार्थी को अपनी जोत में पहूंच का रास्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-251 (1) एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी नियम-1955 के नियम-68 से 70) के अन्तर्गत प्रदान किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु कोई भी स्वीकृतशुदा रास्ता उपलब्ध नही है। कानुनन स्वीकृतशुदा रास्ते से प्रार्थी की खातेदारी जोत तक पहुचने हेतु सबसे निकटतम रास्ता स्वीकृत होना चाहिए तथा प्रार्थी की खातेदारी आराजी को पहुच हेतु सबसे नजदीक रास्ता मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट व नजरी नक्शा रास्ता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-251(1) एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी नियम-1955 के नियम-68 से 70) के अन्तर्गत नया रास्ता कायम करने के संबंध में तहसीलदार मौका रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा अनुतोष में वांछित रास्ता में लघुतम दूरी का होना, वैकल्पिक मार्ग का नही होना और मार्ग की अत्यांतिक आवश्यकता का होना पाया गया है। प्रार्थी उक्त तीनों बिंदुओ को अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित व न्यायसंगत प्रतीत होता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त विवेचन उपरांत आदेश दिए जाते है कि:-

-:<u>क्रिन्याविति आदेश</u>:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर चक 11 जे.आर.के. तहसील हनुमानगढ के पत्थर नम्बर 77/253 (28) किला नम्बर 11/0.025 हैक्टेयर (दक्षिण ओर) पश्चिम से पूर्व, किला नम्बर 20, 21 प्रत्येक बीघा में 0.025 हैक्टेयर (पश्चिम ओर) दक्षिण से उत्तर रास्ता स्वीकृत किया जाता है। स्वीकृत किये गये रास्ते की भूमि के एवज में केवल कि.न. 20, 21 की मुवावजा राशि देय होगी। राजस्थान काश्तकारी

हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार हनुमानगढ से मौका रिपोर्ट तलब की गई। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) की कार्यवाही एक संक्षिप्त विचारण है जिसकी मंशा यह है कि काश्तकारों को अपनी खातेदारी जोत तक पहुंचने के लिए निर्बाध रूप से रास्ता प्राप्त होना चाहिए। राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानान्तर्गत भू.अ.निरीक्षक या उससे वरिष्ट स्तर के राजस्व अधिकारी से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(ए) के संबध में रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण हेतु निम्नाकिंत बिन्दूओं का विवेचन किया गया-

1 **रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता।**

2 **वैकल्पिक रास्ते का अभाव।**

3 **नया मार्ग लघुतम रूट से हो।**

पत्रावली में मौजूद जमाबंदी, नजरी नक्शा व तहसीलदार हनुमानगढ की जरिये पत्रांक/राजस्व/16205226 दिनांक 02.06.2025 द्वारा तैयार मौका व जांच रिपोर्ट का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया गया। तहसीलदार हनुमानगढ ने अपनी मौका रिपोर्ट में प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ता के संदर्भ में अंकित किया है कि:- प.न. 77/253 मु.न. 28 कि.न. 11, 20, 21 प्रत्येक में .025 हैक्टेयर जो संयुक्त खाते में दर्ज रिकार्ड है व मौका पर इन किलों से रास्ता चल रहा है जिससे प्रार्थी अपने खेत में आवागमन कर रहा है व इसके अलावा प्रार्थी के खेत में जाने हेतु अन्य कोई रास्ता नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस प्रार्थीपक्ष सुनी गई। चूंकि धारा 251ए एक संक्षिप्त विचारण है। प्रार्थी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मनन किया गया। मनन उपरांत यह निष्कर्ष है कि प्रार्थी द्वारा याचित रास्ता व तहसीलदार हनुमानगढ द्वारा सुझाया गया रास्ता समान है। याचित रास्ते द्वारा ही प्रार्थी को अपनी जोत में पहूंच सकता है। प्रार्थी को अपनी जोत में पहूंच का रास्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-251 (I) एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी नियम-1955 के नियम-68 से 70) के अन्तर्गत प्रदान किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु कोई भी स्वीकृतशुदा रास्ता उपलब्ध नही है। कानुनन स्वीकृतशुदा रास्ते से प्रार्थी की खातेदारी जोत तक पहुचने हेतु सबसे निकट्तम रास्ता स्वीकृत होना चाहिए तथा प्रार्थी की खातेदारी आराजी को पहुच हेतु सबसे नजदीक रास्ता मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट व नजरी नक्शा रास्ता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-251(I) एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी नियम-1955 के नियम-68 से 70) के अन्तर्गत नया रास्ता कायम करने के संबंध में तहसीलदार मौका रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा अनुतोष में वांछित रास्ता में लघुतम दूरी का होना, वैकल्पिक मार्ग का नही होना और मार्ग की अत्यांतिक आवश्यकता का होना पाया गया है। प्रार्थी उक्त तीनों बिंदुओ को अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित व न्यायसंगत प्रतीत होता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त विवेचन उपरांत आदेश दिए जाते है कि:-

-:क्रिन्याविति आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर चक 11 जे.आर.के. तहसील हनुमानगढ के पत्थर नम्बर 77/253 (28) किला नम्बर 11/0.025 हैक्टेयर (दक्षिण ओर) पश्चिम से पूर्व, किला नम्बर 20, 21 प्रत्येक बीघा में 0.025 हैक्टेयर (पश्चिम ओर) दक्षिण से उत्तर रास्ता स्वीकृत किया जाता है। स्वीकृत किये गये रास्ते की भूमि के एवज में केवल कि.न. 20, 21 की मुवावजा राशि देय होगी। राजस्थान काश्तकारी

कारी) नियम 1955 के नियम 70(1)प(i) के तहत् भूमि की निर्धारित डी.एल.सी दरों स्थान स्टाम्प रूल्स 2004 के नियम 2, नियम 58 के अनुसार) की दुगुनी राशि देय । जिसकी गणना तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ द्वारा करवाई जायेगी। राजस्थान तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 70 (2) के तहत् अप्रार्थीगण की भूमि पर कोई ल, खड़े वृक्ष, या संरचना यदि कोई हो तो, संबधित भू.अ.नि. इसका निर्धारण करके सीलदार को संज्ञान में लाकर तथा तहसीलदार, तहसील राजस्व लेखाकार के माध्यम से की पूर्ण गणना करवाई जायेगी। प्रार्थी द्वारा उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के रांत गै.मु. रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जायेगा और मौके पर रास्ता चालू वाया जायेगा। अप्रार्थी द्वारा मांग किए जाने पर उक्त राशि अप्रार्थी को दी जायेगी। सीलदार हनुमानगढ को आदेश दिए जाते है कि उक्तानुसार पालना करे व किसी सक्षम ायालय का स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो तो, आरटीए 251-ए (2) के तहत उक्त जूरशुद्धा रास्ते का राजस्व रिकार्ड में बतौर गैर मुमकिन रास्ता (सिवाय चक) के रूप में मलदरामद किया जाना सुनिश्चित करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। पत्रावली म्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास ुनाया गया।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ